UPCD010006982026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली
उपस्थितः दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)
J.O.Code.U.P.5730
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 335/2026

1.सुशील कुमार बहेलिया पुत्र सुरेन्द्र बहेलिया

2.हरेन्द्र बहेलिया पुत्र सुरेन्द्र बहेलिया

निवासीगण ग्राम मेढ़ा थाना रामगढ़ जिला कैमूर भभुआ बिहार।

–अभियुक्तगण

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य –विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 10/2026
धारा–3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व
धारा–11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम
थाना– कन्दवा जनपद–चन्दौली।

11–03–2026

अभियुक्तगण सुशील कुमार बहेलिया व हरेन्द्र बहेलिया उपरोक्त की ओर से थाना कन्दवा जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण सुशील कुमार बहेलिया व हरेन्द्र बहेलिया उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व पैरवीकार सुरेन्द्र बहेलिया पुत्र स्व. मधुरी के शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्तगण उपरोक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो निस्तारित है और न ही विचाराधीन है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण उपरोक्त का प्रश्नगत प्रकरण में जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 20–02–2026 को प्रभारी सिविल जज (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली के न्यायालय से खारिज हो चुका है और इस प्रकार अभियुक्तगण उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में जेल में हैं।

अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17–02–2026 को वादी उपनिरीक्षक देवेन्द्र प्रसाद मय हमराह कां. आशीष कुमार व धर्मराज के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में बकौड़ी नहर पुलिया पर मौजूद थे कि मुखबिर खास ने आकर सूचना दिया कि कन्दवा रोड की तरफ से एक सफेद मैजिक नम्बर बी.आर. 45 जी.ए.9433 जानवर लादकर ककरैत के रास्ते बिहार जायेगा। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके वादी मय हमराह पुलिस बल को मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु बकौड़ी नहर पुलिया के पास अपने व हमराह पुलिस बल को छिपाते हुए सड़क से आने वाले मैजिक का

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.03.12 16:50:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर बाद कन्दवा की तरफ से एक मैजिक आती हुई दिखाई दी। मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यह वही गाड़ी है जिसपर गोवंश लदा है तथा मुखबिर मौके से हट बढ़ गया। तत्पश्चात वादी व पुलिस बल ने एकबारगी बकौड़ी नहर पुलिया के पास सड़क पर आते हुए वाहन टाटा मैजिक को रोककर घेरकर चेक किया तो वाहन की चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ की गयी तो बताया कि वाहन में दो गोवंश एक गाय व एक बछिया लदा है जिसे बिहार बेचने के लिये ले जा रहा है। गाड़ी के दूसरे सीट पर बैठे व्यक्ति ने बताया कि वह गाय खरीदता है तथा बिहार ले जाकर बेचता है। गाड़ी टाटा एस के चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हरेन्द्र बहेलिया पुत्र सुरेन्द्र बहेलिया निवासी मेढ़ा थाना रामगढ़ जिला कैमूर भभुआ बिहार तथा बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुशील कुमारा बहेलिया पुत्र सुरेन्द्र बहेलिया निवासी मेढ़ा थाना रामगढ़ जिला कैमूर भभुआ बिहार बताया। गाड़ी का ढाला पीछे से खोलकर देखा गया तो मैजिक में कुल दो राशि गोवंश एक राशि गाय व एक राशि बछिया लदे हैं जिन्हें रस्सी से ढाले में बांधा गया है जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। टाटा मैजिक के चालक हरेन्द्र बहेलिया व बगल की सीट पर बैठे सुशील बहेलिया से गोवंश परिवहन करने का कागज मांगा गया तो नहीं दिखा सके। अभियुक्तगण को उनका अपराध बताते हुए समय 2.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

अभियुक्तगण सुशील कुमार बहेलिया व हरेन्द्र बहेलिया उपरोक्त का अपने प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि अभियोजन कथानक बिल्कुल गलत व झूॅठा है। असलियत यह है कि अभियुक्तगण दूध खाने व पशु पालन हेतु ब्याई गाय पच्चीस हजार रूपये में संजय सेठ के मध्यस्थ्ता, जिसका मो. नं.9793236821 है, से सौरभ पाण्डेय निवासी शहीदगांव थाना धानापुर जनपद चन्दौली मो.नं. 9455211724 की ब्याई गाय व बछिया खरीदा था जो दुधारू थी। इस बाबत सौरभ पाण्डेय ने ग्राम प्रधान से लिखवाकर व उनकी फोटो व मोबाइल नम्बर प्रमाणित कर दिया था। अभियुक्तगण द्वारा गाय व बछिया घर ले जाते समय दिनांक 16—02—2026 को सुबह 8.30 बजे के लगभग वकौड़ी पुलिया पर कन्दवा थाने की पुलिस द्वारा रोककर अवैध धन की मॉग किया जाने लगा। अवैध धन न देने पर यह झूंठा मुकदमा कायम कर दिया गया। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियुक्तगण सुशील कुमार बहेलिया व हरेन्द्र बहेलिया के उक्त जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्तगण गोवंशीय पशुओं का वध के आशय से तस्करी करते हैं जिन्हें दो राशि गोवंशीय पशुओं के साथ मौके पर गिरफ्तार किया गया है। अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्तगण उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

मैने अभियुक्तगण उपरोक्त के प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर उनके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व पत्रावली तथा थाने से प्राप्त आख्या दिनांकित 22—02—2026 व केस डायरी का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी मुकदमा उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा

विवेचक को दिए गए बयानों में कहीं भी यह अभिकथित नहीं है कि अभियुक्तगण प्रश्नगत घटना के समय वाहन टाटा मैजिक नम्बर बीआर 45 जीए 9433 पर दो अदद गोवंशीय पशुओ को वध के आशय से बिहार ले जा रहे थे बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व वादी मुकदमा उपनिरीक्षक देवेन्द्र कुमार द्वारा विवेचक को दिए गए बयान में यह अभिकथित है कि अभियुक्तगण ने बताया कि वे उक्त दो अदद गोवंशीय पशुओं को अधिक दामों पर बेचने हेतु बिहार ले जा रहे हैं और अभियुक्तगण उपरोक्त के द्वारा उक्त गोवंशीय पशुओं का मात्र परिवहन किया जाना ही अभिकथित है। अभियुक्तगण उपरोक्त दिनांक 17–02–2026 से जेल में भी है। अभियोजनपक्ष द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त का कोई आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रश्नगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के जमानत के पर्याप्त आधार है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सुशील कुमार बहेलिया व हरेन्द्र बहेलिया उपरोक्त की ओर से थाना कन्दवा जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्तगण उपरोक्त को थाना कन्दवा जनपद चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रत्येक उक्त अभियुक्त के द्वारा मु0 चालीस–चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांकः–11–03–2026.

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

स्टेनो–संजीत सिंह।